

शाम के रोज ग्राम पंचायत कपनाग. में मत्स्य राहत
 केन्द्र स्थल रा. उ. मा. वि. कपनाग. में उपस्थित वर
 ५९१ व अन्य मौजिन व्यक्तियों से हुसैनलाल पुत्रा पक्षात्
 शिवासी ५९१. जमावती ने इन्हीं जाति मेघवेरी के बारे
 में पूछताछ की गई तो उपस्थित मौजिन व्यक्तियों ने बताया
 कि हुसैनलाल पुत्रा परमदास की वास्तविक जाति रामदासिमा
 है जमावती ने सहवन से गलत दर्ज होना बताया गया
 तथा हुसैनलाल पुत्रा परमदास द्वारा इत्यादि भी पेश किये
 गये जिसमें जाति रामदासिमा दर्ज है कई मोना पदमा
 सुनाया गया तथा उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर व अर्थों
 निशान लिए गए।

18/5/23
 कृष्ण कपनाग
 पत्नी लालबारी

दरबारी
 हुसैनलाल

मेहनत सिंह
 १५/२/२४

सरबजीत सिंह

मुश्कल सिंह

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

हुसनलाल बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नम्बर 86/2023

निर्णय दिनांक :- 24.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री
जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
मली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 49 एफ, पटवार हल्का
लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076
के खाता संख्या 117/47 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम हुसनलाल पुत्र चरना जाति मेघवंशी
के स्थान पर नाम हुसनलाल पुत्र चरनदास जाति रामदासिया दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते
हैं। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
किया जावे।

आज दिनांक 24.05.2023 को यह पर्वा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/ 2023/219

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर,
पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर